



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत **दिनांक- 02.06.2024**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 465/24 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 495/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 15 फुट केबिल, 02 टावर के माड्यूल व घटना में प्रयुक्त 01 कटर, 02 पाने, 02 अवैध चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण

1-दिनांक 23.05.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी नीरज पुत्र रघुवीर सिंह निवासी अहमदशाहपुर गठीना थाना बागपत जनपद बागपत ने तहरीर दी कि जसवन्त पुत्र जमुनादास, राजेन्द्र पुत्र प्यारे लाल, महिपाल पुत्र ब्रिहमदास, त्रिकरम पुत्र कालू, सुरेश पुत्र सुकन, मदन पुत्र भवर सिंह महावीर सिंह पुत्र कृपाराम, ब्रिजे पुत्र हरपाल हरपाल पुत्र राजेराम निवासीगण अहमदपुर गठीना तथा ओमदत्त शर्मा पुत्र हरिराम शर्मा संजय पुत्र लक्ष्मी नाराण, सोराज पुत्र दीपचन्द निवासीगण गाधी थाना बागपत के टयूबवैल के मोटर केबिल को कुछ अज्ञात चोर द्वारा काट लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 465/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



2-दिनांक 31.05.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी प्रवेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी मोदीपुरम मेरठ 24 परिवहनपुरम रुडकी रोड थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ ने अपनी कम्पनी इण्डस का एक मोबाइल टावर जो गाँव हमीदाबाद उर्फ नयागाँव में लगा है जिसकी इण्डस आई0टी0 नं0 1076801 है, दिनांक 29/05/24 को अज्ञात चोर द्वारा टावर पर ऐयरटेल 2 RRR कार्ड 30 मीटर ऊँचाई जिनका सीरियल नं0 CN35033426, CN35033831 है को चोरी कर

लिया है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 495/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोगों में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 465/24 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 495/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 15 फुट केबिल, 02 टावर के माड्यूल व घटना में प्रयुक्त एक कटर, 02 पाने, 02 अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-समीर पुत्र छोटे निवासी अहमद नगर बस्ती थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 2-साहिद पुत्र गुलजार निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-जुबैर पुत्र हारून निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त समीर का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 430/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत
- 2-मु0अ0सं0 466/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत
- 3-मु0अ0सं0 465/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 495/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 503/24 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त साहिद का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 213/20 धारा 147/148/323/325/34/452 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2-मु0अ0सं0 465/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 495/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 503/24 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त जुबैर का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 465/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 495/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 कटर (तार काटने वाला) व 02 पाने ।
- 15 फुट काले रंग का केबिल (सम्बन्धित मु0अ0सं0 465/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)
- 02 टावर माड्यूल (बैटरी) (सम्बन्धित मु0अ0सं0 495/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)
- 02 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 214 उमेश थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-का0 369 विशाल थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-का0 853 रवि गौतम थाना कोतवाली बागपत ।

